FORM NO -III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत कलक्टर, **मुकाम** नागौर

प्रार्थी		**अप्रार्थीगण**
नाथूदास पुत्र ज्ञानदास जाति स्वामी निवासी राजलियां तहसील नावां, जिला नागौर	**बनाम**	1. रामसुख गुर्जर, उपखण्ड अधिकारी नावां 2. सुरेन्द्रसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति रापपुत निवासी ग्राम राजलियां, तहसील नावां जिला नागौर 3. मंदिर बनाम चारभुजा वाके राजलियां नाबालिग मूर्ति जरिए पुजारी मंदिर बनाम चारभुजा राजलियां निवासी राजलियां तहसील नावां जिला नागौर 4. भूमिधारी जरिए तहसीलदार, नावां तहसील नावां

किस्म मुकदमा राजस्व मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या 07 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
21/1/19	प्रार्थी ने यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नावां के यहां विचाराधीन प्रकरण संख्या–30/2018 बअनवान सुरेन्द्र बनाम मंदिर श्री चारभुजा वगैरह को अन्यंत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अधिनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तथा पैरावाईज टिप्पणी तलब हो तथा अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 21-02-19 को पेश हो। [signature] जिला कलक्टर, नागौर	
21/2/19	वकुलाय उपस्थित। श्रीमान् पी. ओ. साहब प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली आइन्दा दिनांक..14/3/19..को पेश हो। [signature]	
14-3-19	वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी ने जिस पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, उनका अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से अब इस प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रहने के आधार पर प्रार्थी का यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया। ~~पत्राव~~ आदेश की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो [signature] (दिनेश कुमार यादव) कलक्टर, नागौर	

Scanned by CamScanner